संपादकीय जागरण

बुधवार, 11 अक्टूबर, 2017 : कार्तिक कृष्ण 6 वि. 2074

वर्तमान ही भविष्य की बुनियाद रखता है

विकास पर बेजा बातें

किसी भी राज्य में चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला कायम हो जाना कोई नई बात नहीं। यह राजनीति का एक सामान्य घटनाक्रम है। यदि इन दिनों गुजरात में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ दिख रहा है तो यह स्वाभाविक ही है, लेकिन जो अस्वाभाविक है वह यह कि विकास को लेकर कई बेतुकी बातें भी की जा रही हैं। वैसे तो गुजरात में विकास के दावों पर पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब कांग्रेसी नेताओं की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा है कि विकास पागल हो गया है। आखिर इस तरह की बातों का क्या मतलब? यदि कहीं विकास के काम अपेक्षा के अनुरूप नहीं या फिर हकीकत दावों के उलट है तो उस पर सवाल उठाने में हर्ज नहीं, लेकिन विकास को पागल घोषित करना तो एक तरह का राजनीतिक पागलपन ही है। यदि विकास के मामले में गुजरात मॉडल उपयुक्त नहीं तो फिर उसके आलोचकों को यह भी बताना चाहिए कि वह कौन सा मॉडल है जिसे अपनाया जाना चाहिए? चूंकि कांग्रेस के नेता बढ़चढ़कर यह साबित करने में लगे हुए हैं विकास का गुजरात मॉडल सही नहीं इसलिए सबसे पहले उन्हें ही यह बताना चाहिए कि कहां का विकास मॉडल अनुकरणीय है? क्या कर्नाटक का या फिर हिमाचल प्रदेश का विकास मॉडल ऐसा है जिसे आदर्श और अनुकरणीय कहा जा सकता है? समस्या केवल यह नहीं कि गुजरात के विकास मॉडल को खारिज किया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि लगे हाथ जीएसटी को भी विकास विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है।

जीएसटी के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भले ही वह मोदी सरकार की पहल के कारण अमल में आया हो, लेकिन उसके जो भी प्रावधान हैं वे समस्त राजनीतिक दलों की सहमति से बने हैं। जीएसटी काउंसिल केवल भाजपा या फिर राजग नेताओं की परिषद नहीं है। इसमें राज्यों में सत्तारूढ़ सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। इससे इन्कार नहीं कि जीएसटी के अमल में परेशानी आ रही है, लेकिन यह तो हर नई व्यवस्था के साथ होता है। कम से कम कांग्रेस के नेताओं को तो यह भली भांति याद होना चाहिए कि जब वैट लागू किया गया था तब भी प्रारंभ में तमाम कठिनाइयां आई थीं। तथ्य यह भी है कि एक तो जीएसटी काउंसिल के हाल के फैसलों से बड़ी तादाद में कारोबारियों को राहत मिली है और दूसरे, सौ दिन बाद हालात सुधरते दिख रहे हैं। जीएसटी सरीखे आर्थिक सुधार के बड़े कदम को लेकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश करना एक तरह से आर्थिक मामले में सस्ती राजनीति करना है। एक ओर जहां विपक्ष को ऐसी राजनीति से बाज आने की जरूरत है वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए भी यह आवश्यक है कि वह सुधार के दावों की परख सही तरह करे। यदि जनता के बीच बेचैनी का भाव हो या फिर वह राहत न महसूस कर रही हो तब फिर ऐसी तस्वीर पेश करने का कोई मतलब नहीं कि सब कुछ सही है। विकास केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वह जमीन पर नजर भी आना चाहिए।

नैतिक शिक्षा

सोमवार को लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी जिसने सुनने वालों के ह्दय हिला दिये। क्या मन की मोटरसाइकिल न मिलने पर कोई जान दे सकता है। जान क्या मोटरसाइकिल से भी सस्ती हो गई। कोई शौक कैसे मन पर इतना हावी हो सकता है कि युवा अपनी जान ले ले। उसे न अपने मां बाप की चिंता हो और न यह दिखाई दे कि माता पिता की हैसियत वह शौक पूरा करने की है भी या नहीं। लखनऊ में 18 साल के एक छात्र ने केवल इसलिए जान दे दी कि उसके किसान पिता उसे बुलेट नहीं दिला सके थे। इंजीनियरिंग पढ़ रहे इकलौते लड़के ने जिद की तो मां-बाप और बहन ने समझाया पर सब व्यर्थ। लड़का बुलेट से ही कालेज जाने की जिद कर रहा था और न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दे चुका था। आखिरकार उसने वही काम कर भी दिया। प्रश्न है कि युवा मन में इतना हठ आया कैसे। क्यों वह अपने परिवार की साधनहीनता नहीं देख सका। कौन है दोषी। किसी एक तरुण को हम गलत मानेंगे तो समस्या का समाधान कभी नहीं मिलेगा।

> अब समय आ गया है जब बच्चों के पाठ्यक्रम में इंटरनेट का दुरुपयोग पढ़ाया जाए और स्कूलों में फोन का प्रयोग बंद कर दिया जाए।

दोष हमारी व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में आ गया है। भ्रष्टाचार से कमाई गई दौलत उन लोगों के हाथ में भी महंगे मोबाइल और लंबी गाड़ियां थमा रही है जो अपने वेतन या आमदनी से उन्हें नहीं खरीद सकते थे। बच्चे कोमल होते हैं। उनका मन संवेदनशील होता है, लिहाजा गलत बातें उन्हें आकर्षित कर ले जाती हैं। बढ़ती आबादी और छोटे होते घरों ने परिवारों का तानाबाना तोड़ दिया है। मोबाइल फोन और लगभग फ्री इंटरनेट ने बच्चों की दुनिया अत्यंत सीमित कर दी है। इसमें केवल वे हैं और है उनका मिथकीय संसार। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाने की आशा तो रेत में फूल खिलाने जैसी है परंतु सरकार चाहे तो अब भी यत्न कर सकती है। सरकार को स्कूलों के पाठ्यक्रम में फिर से नैतिक शिक्षा को शामिल करना होगा। अब समय आ गया है जब बच्चों के पाठ्यक्रम में इंटरनेट का दुरुपयोग पढ़ाया जाए और स्कूलों में फोन का प्रयोग बंद कर दिया जाए।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध वायु प्रदूषण को रोकने में कारगर साबित हो सकता है?

आज का सवाल
क्या आपको लगता है कि बीएचयू से हिंदू और एएमयू से मुस्लिम शब्द हटा दिए जाने चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

जल पर संवेदनशील बने समाज

अर्जुन राम मेघवाल

देश में जल प्रबंधन को तार्किक और संतुलित बनाने के लिए हमें पानी की आपूर्ति और उसके वितरण की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी

दुनिया पानी को लेकर विकराल संकट से जूझ रही है तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालात यहां तक पहुंच गए कि संयुक्त राष्ट्र को 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित करना पड़ा। इसका प्रयोजन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सभी सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर जल संकट समाधान के लिए मिलकर काम करने से है। इसी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों यानी एमडीजी के बाद सितंबर, 2015 में जिस सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को चुना गया उसमें भी मानव अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी जल को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया गया है। इन चुनौतियों का तोड़ निकालने के बीच अब विभिन्न मंचों पर जलवायु परिवर्तन की चिंता पर चर्चा भी आम हो गई है।

जल प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर सार्थक चर्चा के लिए भारत में भी वर्ष 2012 से वार्षिक नीतिगत संवाद भारत जल सप्ताह की शुरुआत हुई है। इस साल भी भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय के तत्वाधान में इसके पांचवें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 14 अक्टूबर तक होने वाले इस आयोजन की थीम है-'समावेशी विकास के लिए जल और ऊर्जा।' मैं इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की हिमायत इसलिए करता हूं, क्योंकि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन बेहद सीमित हैं। अंधाधुंध दोहन से वे तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ के अनुसार पेयजल के लिए भले ही रोजाना प्रति व्यक्ति 2 से 4 लीटर पानी की जरूरत पड़ती हो, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए एक दिन का भोजन तैयार करने में 3,000 से 5,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। उसका अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक जल संपदा पर 2.7 अरब की अतिरिक्त आबादी के भरण-पोषण का बोझ भी पड़ने वाला है। भारत में भी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2010 में 1608 घन मीटर के मुकाबले 2050 तक घटकर 1139 घन मीटर रह जाएगी। चूंकि विकास के मोर्चे पर भारत तेजी से छलांग लगा रहा है जिससे पानी की जरूरत भी बढ़ेगी, ऐसे में यहां जल का समुचित प्रबंधन उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देश की आधी से अधिक कामकाजी आबादी खेती से जुड़ी है जिसमें सिंचाई की अहम भूमिका है। भारत में जल संसाधनों का 85 फीसद सिंचाई में उपयोग होता है। मानसून की बिगड़ी चाल और वर्षा के असमान वितरण से जहां बुंदेलखंड, विदर्भ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे देश के कई इलाके बाढ़ की विभीषिका से परेशान हैं। यह असंतुलन न केवल कृषि, बल्कि ग्रामीण विकास, पर्यावरण, विनिर्माण और कारोबारी सेवाओं को भी प्रभावित कर रहा है जिसका खामियाजा अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है।

आवश्यकता है कि इस दुर्लभ संसाधन के संरक्षण के लिए गंभीर और सतत प्रयास किए जाएं जिसमें राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों, सामुदायिक संस्थानों और पारिवारिक से लेकर वैयक्तिक स्तर पर भागीदारी जरूरी होगी। जल संसाधन प्रबंधन के लिए सरकार ने कुल 30 लिंक चिन्हित किए हैं जहां अधिशेष जलराशि वाले इलाकों से पानी किल्लत वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। इस योजना में 16 लिंक प्रायद्वीपीय भारत और 14 हिमालयी क्षेत्र में हैं। नदियों को जोड़ना मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से 170 अरब घन मीटर पानी को किल्लत वाले क्षेत्रों में पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे 3.5 करोड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। बाढ़ से निजात के अलावा नौवहन, पेयजल सहित तमाम मोर्चों पर सहायता मिलेगी। देश में जल प्रबंधन को तार्किक और संतुलित बनाने के लिए हमें पानी की आपूर्ति और उसके वितरण की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी।

सड़क, रेल और कई अन्य माध्यमों में निवेश की तुलना में सिंचाई में हुआ निवेश कहीं ज्यादा जल्दी फलीभूत होता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आगाज किया। पर ड्रॉप, मोर क्रॉप यानी कम सिंचाई में अधिक फसल को सरकार ने अपना मंत्र बनाया है। इसमें सूखा प्रभावित क्षेत्रों को तरजीह दी जा रही है। राज्य और जनपद स्तर की योजनाओं में सिंचाई की मद में किए जाने निवेश को साथ जोड़ते हुए इस योजना को सिरे चढ़ाया जा रहा है। पूरा ध्यान खेत में पानी के बेहतर उपयोग और सिंचाई क्षमता और उपयोगिता में खाई पाटने पर है। समग्र-एकीकृत दृष्टिकोण के साथ जल क्रांति अभियान जैसी योजना भी सभी पक्षों की भागीदारी के साथ लागू हो रही है जिसका मकसद जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। सरकार ने नेशनल वॉटर इन्फोर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की जो जल संसाधनों के राष्ट्रव्यापी आंकड़े तैयार करेगा।

अवधेश राजपूत

नदियों की सफाई एक अनवरत प्रक्रिया है। इसमें नमामि गंगे परियोजना उम्दा उदाहरण है। इसके तहत विभिन्न तरह की गतिविधियों वाली 173 योजनाएं संचालित हो रही हैं जिसमें घाटों की सफाई से लेकर गांव-शहरों की स्वच्छता भी शामिल है। 173 में 41 परियोजनाएं तो पूरी भी हो चुकी हैं। गंगा में गंदगी फैलाने वाले उद्योगों पर सरकारी सख्ती का ही असर है कि गंगा में प्रवाहित होने वाले प्रदूषकों की तादाद में 35 प्रतिशत की कमी आई है। देश भर में बांध सुरक्षा के लिए भी बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना यानी डीआरआइपी चलाई जा रही है। चूंकि पानी का मसला संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में आता है, ऐसे में अंतर-राज्य जल विवाद और उनका उचित समाधान केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत विवादों को सुलझाने के लिए वर्तमान में 8 ट्रिब्यूनल हैं। सरकार संशोधित राष्ट्रीय जल नीति पर काम कर रही है जिसमें केंद्रीय स्तर पर एक स्थाई जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाने के साथ ही विवाद समाधान समिति बनाने की योजना है जो राज्यों के जल संबंधी विवादों का समाधान निकालेगी। इसके लिए 1956 के कानून में संशोधन के मकसद से सरकार इस साल लोकसभा में नया विधेयक पेश भी कर चुकी है।

जल प्रबंधन के लिए सरकार के कई मंत्रालय और विभाग भी कंधे के कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सीवेज पाइपलाइन से लेकर शौचालय निर्माण और प्लंबर का कौशल सिखाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से करार भी किया है। पानी के पुनः इस्तेमाल को लेकर रेल मंत्रालय और इंडियन ऑयल के साथ भी योजना बनाई है। बिजली मंत्रालय ने तो संयंत्रों के लिए अनिवार्य किया है कि वे सीवेज संयंत्र के 50 किलोमीटर की परिधि में मौजूद हों तो बिजली बनाने के लिए उसके पानी का ही इस्तेमाल करें। पानी के पुनः उपयोग को लेकर विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जाहिर है जल संसाधनों के सतत विकास के लिए मौजूदा सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं और जब इन प्रयासों को सभी वर्गों का साथ मिलेगा तो भारत निश्चित रूप से जल को लेकर संवेदनशील समाज बन जाएगा।

(लेखक केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री हैं)

response@jagran.com

जिम्मेदारी से दूर भागते शिक्षा संस्थान

जगमोहन सिंह राजपूत

शिक्षण संस्थानों का पहला उद्देश्य शिक्षा देना नहीं वरन शिक्षा के लिए आवश्यक माहौल निर्मित करना होना चाहिए

इस समय देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर विमर्श पीछे चला गया है, उसका स्थान शिक्षा प्रदान करनेवाले केंद्रों-स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में निर्मित वातावरण ने ले लिया है। स्कूलों में मासूम बच्चों की हत्याएं, दुष्कर्म, हिंसा की घटनाएं लगातार सभी को चिंतित कर रही हैं। अनेक बार शिक्षा संस्थानों में कई प्रकार की अनियमितताओं की चर्चा तो होती ही रहती है, मगर यहां महिला उत्पीड़न की घटनाएं अत्यंत विचलित करने वाली होती हैं। गुरु और शिष्य के संबंधों में जबरदस्त बदलाव हुआ है जो आज स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में घट रही अस्वीकार्य और शर्मनाक स्तर तक नैतिकता के क्षरण से परिलक्षित होती हैं। स्वामी विवेकानंद ने गुरु और शिष्य को लेकर कहा था, 'जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है उसे शिष्य कहते हैं। किसी भी आत्मा में इस प्रकार शक्ति-संचार करने के लिए जरूरी है कि पहले तो जिस आत्मा द्वारा संचार होता हो उसमें इस संचार की शक्ति मौजूद रहे और दूसरे जिसमें यह शक्ति संचारित की जाए, वह इसे ग्रहण करने योग्य हो। ऐसे व्यक्ति ही सच्चे गुरु होते हैं और ऐसे व्यक्ति ही सच्चे शिष्य या आदर्श साधक कहलाते हैं।' उनके अनुसार 'सच्चे आचार्य वे ही हैं जो अपने शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकें। सच्ची सहानुभूति के बिना हम कभी भी ठीक-ठीक शिक्षा नहीं दे सकते हैं।' यह अपेक्षा करना तो तर्कसंगत ही माना जाना चाहिए कि कुलपति और आचार्य पद को सुशोभित करने वालों को आचरण, ज्ञानार्जन में लगन और शिष्यों के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने ही होंगे। आज की व्यवस्था में यह सब बहुत हद तक भुला दिया गया है। हमने इस देश में पनपे चिंतन और विचारों को त्याग कर बाहर से नकल करने की प्रवृत्ति को ही देशहित मान लिया है।

आज शिक्षा केंद्रों में जो समस्याएं लगातार उभरती रहती हैं उनके मूल में शिक्षा के शाश्वत आदर्शों से भटकाव, अध्यापक और शिष्य के संबंधों से आत्मीयता की अनुपस्थिति और उत्तरदायित्व, श्रद्धा और पारस्परिक आदर भाव की कमी ही मुख्य कारक के रूप में पहचाने जा सकते हैं। यह समाज और सरकार का सम्मिलित उत्तरदायित्व है कि ज्ञानार्जन में रुचि लेने वाले, छात्रों के प्रति स्नेह संबंध बनाने को उत्सुक, अध्यापन को दूसरों का जीवन संवारने का अवसर मानने वाले, चरित्र और व्यक्तित्व के प्रति सदा सजग और सावधान रहने वाले उत्साही व्यक्ति ही अध्यापक बनने के योग्य माने जाएं। इसी तरह हर शिष्य हर प्रकार की शिक्षा के योग्य नहीं हो सकता है, उसकी अपनी रुचि के क्षेत्र में ही उसे अवसर दिए जाएं। यह दोनों पक्ष इस समय पूरी तरह से व्यावहारिक परिदृश्य से ओझल हो गए हैं या यों कहें कि परिस्थितियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। परिणामस्वरूप हमारी ज्ञानार्जन, नवाचार और शोध के महत्व को समझने की क्षमता ही शिथिल पड़ गई है। अब अधिकांश शिक्षा केंद्र केवल वार्षिक परीक्षाओं में अधिकाधिक अंक प्राप्त कराने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। मानव मूल्यों से परिचय और बच्चों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें हृदयंगम करना और इसमें उनकी सहायता करना अब अध्यापक तथा संस्थाएं अपना उत्तरदायित्व नहीं मान रहे हैं। अध्यापक अक्सर स्वयं भी भूल जाते हैं कि उसके आचार, विचार, व्यवहार और चरित्र का बच्चे लगातार अवलोकन करते रहते हैं और उसे अपना 'आइकॉन' मानने को उत्सुक रहते हैं।

अपेक्षा तो यही थी कि जैसे-जैसे शिक्षा का व्यापक फैलाव होगा, शिक्षित समाज अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा। 19-20 प्रतिशत से बढ़कर आज साक्षरता तीन चौथाई आबादी तक पहुंच गई है जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा केंद्रों में जो दृष्टिकोण परिवर्तन उन्हें चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों में सबसे अधिक देखा जा सकता है वह 'वर्तमान स्थिति को सामान्य' मान लेने का प्रचलन है। किसी भी गतिशील व्यवस्था के लिए यह उसमें लगे दीमक की तरह है जिससे निजात पाना उसके बने और बचे रहने के लिए आवश्यक है। दिल्ली के एक स्कूल के शौचालय में सात साल के बच्चे की हत्या और पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित किए गए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्रा से शाम को छह बजे छेड़छाड़ वैसे तो दो अलग-अलग घटनाएं हैं, इनकी प्रकृति अलग-अलग है, मगर मानवीय व्यवहार का एक तत्व इन दोनों में समान रूप से उपस्थित है। मसलन अध्यापकों और छात्रों के बीच संवेदनात्मक स्तर पर जिन संबंधों की संकल्पना प्राचीन भारतीय संस्कृति में की गई थी, उसका लगभग पूरी तरह तिरोहित हो जाना! यदि ऐसा न होता तो गुरुग्राम का स्कूल अपने बच्चों की सुरक्षा को पूरी तरह दरकिनार न कर देता, दुर्घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से न भागता और साक्ष्य मिटाने का प्रयास न करता। उसी प्रकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उस छात्रा से तुरंत संवाद स्थापित कर उस घटना का समाधान किया जा सकता था, उसे और सभी छात्रों को विश्वास दिलाया जा सकता था कि आगे से उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होगी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि छात्राओं को रात में अंधेरी सड़कों पर रोशनी का प्रबंध करने के लिए धरने पर बैठना पड़े? स्थिति इतनी बिगड़े कि पुलिस आए और लड़कियों को 'लाठी चार्ज' में चोट लगे? छेड़छाड़ की घटना के बाद यह कहना कि 'क्यों वहां गई थी' एक विकृत मानसिकता में ही संभव है जिसका शिक्षा संस्थानों में कोई स्थान हो ही नहीं सकता है।

भारत की प्राचीन ज्ञानार्जन परंपरा पर भारतीयों को गर्व होना ही चाहिए। जिस बड़े पटल पर ज्ञान की खोज भारत के मनीषियों ने की थी उसकी संकल्पना तक अन्य सभ्यताओं में उस समय नहीं की थी। जिस विधा को ज्ञानार्जन और उसके अगली पीढ़ी तक स्थानांतरण को भारतीयों ने एक सक्षम स्वरूप दिया था वह आज भी उतनी ही समसामयिक है जितनी हजारों साल पहले थी। इसे स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, गुरुदेव टैगोर और गांधी जैसों ने पहचाना था। उन विचारों से शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को परिचित होना चाहिए। शिक्षा केंद्रों में समन्वय और आत्मीयता का जो वातावरण आवश्यक है वह अब केवल इतिहास मात्र बनकर रह गया है। गुरुदेव टैगोर ने जब शांति निकेतन की संकल्पना की थी तो उनके मन में रचनात्मकता, विचारों की शक्ति और कल्पना शक्ति को पंख प्रदान करने की अभिलाषा सबसे प्रमुख थी। उनका मानना था कि शिक्षा केंद्रों का पहला उद्देश्य शिक्षा देना नहीं वरन शिक्षा प्राप्त कर सकने के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित करना होना चाहिए। यह सुधारों के लिए सूत्र-वाक्य बन सकता है।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सच्चा अध्यात्म

जिस अध्यात्म से मनुष्य के मन को शांति मिले, वही सच्चा अध्यात्म है। मन की प्रसन्नता का हमारी शारीरिक सेहत से सीधा संबंध है। हम मानसिक तौर पर खुश रहते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए मनुष्य शरीरिक रूप से कितना ही कमजोर क्यों न हो, लेकिन उसे मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। मानसिक प्रसन्नता हमें आशावादी बनाती है और आशा हमें लक्ष्य के करीब लाती है। जब हमारे सपने मरते हैं तो जीवन के प्रति हमारा उत्साह-उमंग भी खत्म होने लगता है। फिर हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती और हम जीते जी अपने को मृत मान लेते हैं। हमें सोचना चाहिए कि जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा अनुभव होगा और जब हम कुछ गलत करेंगे तो उसका अनुभव बुरा ही होगा। जैसे व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी दूसरों से करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक जो आत्मा मेरे भीतर है, वही तुम्हारे भीतर भी है और हर आत्मा में परमात्मा का वास है। हर आत्मा परमात्मा का मंदिर है। हर व्यक्ति को अपने अंदर ईश्वर की खोज करनी चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य बुराइयों से अपने आप ऊपर उठ जाता है।

जब मनुष्य अपने भीतर संतोष भाव जाग्रत करता है तो फिर उसे किसी अध्यात्म की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तब उसे स्वतः ही प्रत्येक वस्तु और अवस्था में अध्यात्म प्राप्त हो जाता है। संतोष से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असंतोषी के लिए कोई धर्म नहीं है। असंतोषी व्यक्ति को कितना ही क्यों न मिल जाए उसे हर चीज कम ही लगती है और उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसके विपरीत संतोषी व्यक्ति अपने परिश्रम से जितना प्राप्त करता है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर खुशी-खुशी ग्रहण करता है। मनुष्य के भीतर संतोष भाव पैदा हो इसलिए कहा गया है कि दोनों हाथों से कमाओ और सौ हाथों से लुटाओ। हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह इस संसार को उतना तो अवश्य लौटा दे जितना उसने इससे लिया है। दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन है और यही मनुष्य के लिए सच्चा अध्यात्म भी है। कोई भी धर्म या अध्यात्म मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसे हमें परोपकार में अवश्य लगाना चाहिए। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है।

महायोगी पायलट बाबा

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

भ्रष्टाचार पर प्रहार जरूरी

संस्थाओं को मजबूत बनाने का समय शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. भरत झुनझुनवाला ने बताया है कि आर्थिक विकास की असल कुंजी देश की संस्थाओं में निहित है। उन्होंने मोदी सरकार को इस बात की हिदायत भी दी है कि ऐसा कोई काम न करे जिससे कि देश में नकारात्मक माहौल कायम हो जाए और ईमानदार लोग भी कुछ साहसिक फैसले लेने से कतराने लगें। इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि नोटबंदी और जीएसटी से भ्रष्टाचारियों के साथ-साथ ईमानदार और गरीब भी कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं, लेकिन जिस तरह देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई थीं उसे देखते हुए ऐसे कठोर कदम उठाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। भले ही अल्पकाल में इससे लोगों को कुछ परेशानी हुई है या हो रही है, लेकिन दीर्घकाल में यह देश के लिए अच्छा साबित होगा। देश की जनता यह बात समझ रही है। शायद यही वजह है कि वह शांतभाव से नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रही है। अगर संस्थाओं की बात की जाए तो संस्थाएं लोकतंत्र रूपी गाड़ी के पहिए की तरह हैं। जिस तरह से गाड़ी का एक भी पहिया खराब हो जाता है तो गाड़ी किसी भी हाल में सही नहीं चल पाती है ठीक उसी तरह संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए इसमें फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना भी बहुत जरूरी है। इनमें पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार इसमें तकनीक की मदद भी ले रही है। ऐसे कदमों से भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोगों को परेशानी होनी लाजमी है। ऐसे लोग ही इन दिनों देश में नकारात्मकता फैला कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, लेकिन वे भूल रहे हैं कि इस तरह मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में देश का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। एक बात उन्हें गांठ बांध लेनी चाहिए कि वे कितना भी हो-हल्ला क्यों न करें, लेकिन पुराने दिन अब वापस नहीं आ सकते। लिहाजा उन्हें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए ताकि देश का ईमानदार तबका भी निडर होकर अपना काम करे और देश की तरक्की में कोई अवरोध पैदा न हो। बेहतर होता कि मोदी सरकार की मंशा और क्षमता पर सवाल उठाने के बजाय लेखक अपने लेख में देश को मौजूदा हालात से निकालने के लिए कुछ ठोस सुझाव प्रस्तुत करते। विवेक श्रीवास्तव, पटना

क्यों सुध नहीं लेती सरकार

जैसा हम देखते हैं कि दिल्ली, मुंबई और कई बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही रेड लाइट होती है तुरंत बच्चों के गिरोह गाड़ियों पर कपड़ा मारते हैं। कुछ-कुछ सामान बेचते हैं। सवाल यह है कि आखिर इन सबके पीछे किसका हाथ है? क्या यह बच्चे मजबूरी के कारण ऐसा करते हैं या कोई और इन बच्चों से यह काम कराता है? आखिर यह बच्चे आए कहां से? दिल्ली में जगह-जगह फ्लाईओवर के नीचे इन बच्चों का आशियाना मिल जाएगा। क्या सरकार ऐसे बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रही है?

nazrathlester16@gmail.com

क्या यही युद्ध की तैयारी है ?

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों के शवों को पॉलीबैग और पेपर बॉक्स में रखे जाने की तस्वीर सामने आने पर विवाद हो गया है। जहां यह हादसा हुआ वहा बॉडी बैग्स नहीं थे, ऐसा सेना का कहना है। दुर्घटना हो या न हो हमें हमेशा तैयार रहना जरूरी है। जो चीजें बाद में मुहैया करा दी जाती हैं वह पहले ही मुहैया क्यों नहीं की जाती? भारत तरक्की कर रहा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन शहीद जवानों के बारे में जो हुआ है उससे पता चलता है की सेना को कितनी तैयारी करना शेष है। जिस देश से अपने जवानों के शवों को ठीक तरह से संभालने में गलती हुई हो, उससे हम युद्ध के लिए कितने तैयार है यह साफ होता है। शस्त्र, अस्त्र के साथ और भी कई बातें होती हैं जो युद्ध तैयारी में महत्वपूर्ण होती हैं। विकास की कुछ योजनाएं पीछे रहीं तो भी चल सकता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

jay.rane555@gmail.com

अच्छी पहल

हम सभी को न्याय पालिका का सम्मान करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण हित के लिए एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाना एक अच्छी पहल तो है लेकिन पूर्णतः एकमात्र उचित कदम नहीं है। इस विषय को राजनीतिक रंग देना अनुचित है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते यहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हमारी प्राचीन परंपरा है हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई आपस में हम भाई-भाई। माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद से ही बुद्धिजीवियों ने समाचार चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे धर्मों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। पर्यावरण को दूषित करने के असंख्य कारण हैं जिनके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। पटाखों के कारोबार से भी लाखों की आबादी जुड़ी हुई है जो मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन करने और पेट भरने के लिए देश के कोने-कोने से देश की राजधानी में आते हैं। अवैध बूचड़खाने, पेड़ों की कटाई, अवैध निर्माण, नदियों में डाली जाने वाली गंदगी, नियमित रूप से बढ़ते वाहन आदि सभी प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख उन सभी बुद्धिजीवियों को अपने विचार और सुझाव रखने चाहिए जो पर्यावरण और इस देश के मान सम्मान के लिए जीते हैं। पटाखों में भरे जाने वाले खतरनाक पदार्थों की मात्रा कम करने और कम ध्वनि युक्त पटाखों के लिए विचार किया जाना चाहिए जिससे सभी वर्गों के लोगों को त्योहारों पर रोजगार और खुशियां मिल सकें।

ramdevtanwar@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

अगर दिल्ली मेट्रो रेल किराया बढ़ोतरी को टालने के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि देने को तैयार हो सकती है तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां गई?

पूनम पांडेय@pandeypoonam20

मेट्रो किराया बढ़ोतरी पर केंद्र की दृढ़ता काबिलेतारीफ है। बेवजह का लोकलुभावनवाद दिल्ली मेट्रो के साथ ही अन्य प्रस्तावित 35 मेट्रो को बर्बाद कर देगा, बिल्कुल वैसे जैसे मुंबई लोकल का हाल हुआ।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

केवल भारत में ही ऐसा हो सकता है जहां प्रदूषण को धार्मिक रंग दिया जाए और धर्म प्रदूषण का कारक बन जाए। दोनों ही बातें बड़ी अजीब हैं।

सुहेल सेठ@suhelseth

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोग विरोध ही करेंगे। चिंता की बात यह है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के वैधानिक फैसलों का भी विरोध बढ़ेगा।

मधु पूर्णिमा किश्वर@madhukishwar

बैंकों ने उद्योगों को 8.2 फीसद की दर पर कर्ज दिया तो गरीबों को माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से 26 फीसद पर ऋण मिला। कर्ज नीति भी किस तरह विषमता को बढ़ावा देती है।

देविंदर शर्मा@Devinder_Sharma

जनपथ

फतवा सुप्रिम कोर्ट का दीवाली पर यार,
सन्नाटे में जायगा अबकी यह त्यौहार।
अबकी यह त्यौहार पटाखे ना फुलझड़ियां,
लटकाओ घर-द्वार चीन वाली बस लड़ियां।
चलो बचे इस बार न खाली होगा बटुवा,
बच्चों का मन मार पालना होगा फतवा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।